अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 01/2023-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

सा.का.नि. 153(अ).— माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 41क के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"कोल वाश्री को अथवा कोल वाश्री द्वारा आपूर्त किया गया कोल रिजेक्ट्स, जो कि उस कोयले से निकला हुआ हो जिस पर प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान किया गया हो और किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया गया हो"।

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी] राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 720 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 2/2021-प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 सा.का.िन. 901 (अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 1/2023-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 720(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against Sl. No. 41A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Coal rejects supplied to a coal washery or by a coal washery, arising out of coal on which compensation cess has been paid and input tax credit thereof has not been availed by any person".

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: -The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate) dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 2/2021-Compensation Cess (Rate), dated the 28th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.901(E), dated the 28th December, 2021.